



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 फाल्गुन 1947 (श0)
(सं0 पटना 283) पटना, वृहस्पतिवार, 19 मार्च 2026

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

18 मार्च 2026

एस० ओ० 91, दिनांक 19 मार्च 2026—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा 112 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, तारीख 30 जून, 2026 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करते हैं जिस तक, इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष, उन मामलों के संबंध में जहां वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जाने की वांछा की गई है, 1 अप्रैल, 2026 से पहले अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित कर दिया गया है, अपील फाइल की जा सकेगी, और 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात् संसूचित आदेश के संबंध में सभी अपीलों उस तारीख से, जिसको ऐसा आदेश अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की जा सकेंगी।

{(सं0सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-(खंड-22) 964)}

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

18 मार्च 2026

एस0ओ0 91, दिनांक 19 मार्च 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

{(सं0सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-(खंड-22) 964)}

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 18th March 2026

S. O. 91, dated the 19th March 2026.— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 112 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, the Governor of Bihar, on the recommendations of the council, hereby notifies the 30th day of June, 2026, as the date upto which appeal may be filed before the Appellate Tribunal under this Act in respect of all cases where the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal before the 1st day of April, 2026 and all appeals in respect of order communicated on or after 1st April, 2026 may be filed before the Appellate Tribunal within three months from the date on which such order is communicated to the person preferring the appeal.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-22) 964)]

By the order of Governor of Bihar,

SANJAY KUMAR SINGH,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 283-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>